



(राजभाषा प्रकोष्ठ RAJBHASHA CELL)

कमरा संख्या : 104, प्रथम तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1225)

Room No.: 104, 1st Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1225)

फाइल संख्या: आरबीसी/23/गृ.प./2016/7145-7394

दिनांक: 16/12/2016

परिपत्र

विषय : गृहपत्रिका का प्रकाशन।

- संदर्भ : (i) राजभाषा प्रकोष्ठ के दि. 22/01/2014 के परिपत्र सं.:आरबीसी/23/गृ.प./2014/9973-10219
(ii) राजभाषा प्रकोष्ठ के दि. 07/04/2014 के परिपत्र सं.:आरबीसी/23/गृ.प./2014/11874-12120 (अनु.-I)
(iii) राजभाषा प्रकोष्ठ के दि. 07/05/2014 के परिपत्र सं.: आरबीसी/23/गृ.प./2014/12383-12629 (अनु.-II)
(iv) राजभाषा प्रकोष्ठ के दि. 17/07/2014 के परिपत्र सं.: आरबीसी/23/गृ.प./2014/14409-14658 (अनु.-III)
(v) राजभाषा प्रकोष्ठ के दि. 06/01/2015 के परिपत्र सं.: आरबीसी/23/गृ.प./2015/17326-17572 (अनु.-IV)
(vi) राजभाषा प्रकोष्ठ के दि. 13/08/2015 के परिपत्र सं.: आरबीसी/23/गृ.प./2015/21304-21553 (अनु.-V)
(vii) राजभाषा प्रकोष्ठ के दि. 29/10/2015 के परिपत्र सं.: आरबीसी/23/गृ.प./2015/22952-23201 (अनु.-VI)
(viii) राजभाषा प्रकोष्ठ के दि. 09/02/2016 के परिपत्र सं.: आरबीसी/23/गृ.प./2015/1510-1758 (अनु.-VII)
(ix) राजभाषा प्रकोष्ठ के दि. 08/06/2016 के परिपत्र सं.: आरबीसी/23/गृ.प./2015/3887-4135 (अनु.-VIII)

उपर्युक्त संदर्भित परिपत्रों के संबंध में विश्वविद्यालय की गृह पत्रिका में प्रकाशित किए जाने हेतु विश्वविद्यालय के सभी विभाग/केंद्र/अनुभाग/शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं शिक्षकों से कुछ ही कविताएं/रचनाएं/लेख प्राप्त हुए हैं। अतः आप सभी से पुनः अनुरोध है कि उक्त गृहपत्रिका हेतु अधिक से अधिक हिंदी में तकनीकी लेख (अधिकतम 1000 शब्द), रुचिकर लेख जैसे लघु कथाएँ, स्मृतियाँ, यात्रा वृत्तांत, कविताएँ, अन्य भारतीय भाषाओं के अनुदित लेख/कविताएँ, प्रेरक प्रसंग और उद्धरण आदि प्रकाशन के लिए भेजें। रचनाएं कागज टंकित होने के साथ उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी राजभाषा प्रकोष्ठ को भेजें। रचनाएं संपादक मंडल की अनुमति के पश्चात ही ऑन-लाइन प्रकाशित की जाएंगी और अस्वीकृत रचनाएं लेखकों को लौटाई नहीं जाएंगी। यह भी अनुरोध है कि उक्त पत्रिका के 'नाम' हेतु भी अपनी प्रविष्टि/अपने सुझाव भेजें। साथ ही अनावश्यक विवाद से बचने के लिए घोषित करें कि प्रकाशनार्थ प्रस्तावित लेख स्वरचित/मौलिक/अप्रकाशित हैं/हैं।

अनुरोध है कि कृपया दिनांक 16/01/2017 तक सहायक कुलसचिव (राजभाषा), कक्ष सं. 104, राजभाषा प्रकोष्ठ, नया प्रशासनिक खंड (उत्तरी परिसर), दिल्ली विश्वविद्यालय को अपनी रचनाएं अवश्य भेज दें।

आनंद कुसोनी
16/12/2016
(आनंद कुमार सोनी)

सहायक कुलसचिव (रा.भा.)

सभी शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण -
सभी विभाग/कार्यालय/अनुभाग प्रमुख

द्वारा : सूचना पट्ट

05. फाइलों पर हिंदी में कार्य Notings in Hindi on files

तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियां

No. of noting's made during the quarter

हिंदी में In Hindi	अंग्रेजी में In English	कुल संख्या Total no.

06. हिंदी कार्यशालाएं Hindi Workshops

तिमाही के दौरान कार्यशाला आयोजन की तिथि एवं संख्या Date & No. of workshops conducted during the quarter	प्रशिक्षण की अवधि (घंटों में) Duration of training (In hours)	प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या No. of officers trained	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या No. of Employees trained	कुल संख्या Total no.

07. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

Date of the meeting of the Departmental/Organizational Official Language Implementation Committee

08. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

Date of the meeting of the Hindi Advisory Committee

पहली बैठक First Meeting	दूसरी बैठक Second Meeting

09. शीर्षस्थ (मंत्रालय/विभाग में संयुक्त सचिव स्तर तथा अन्य कार्यालयों आदि में प्रशासनिक प्रमुख/कार्यालय प्रमुख स्तर की अध्यक्षता में आयोजित बैठकें) प्रशासनिक बैठकें Apex (Meetings organized under the chairmanship of Joint Secretary & above in Ministry/Department and Administrative Head/Head of Office in other Offices etc.) Administrative Meetings

(क) तिमाही के दौरान हुई शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकों की संख्या

No. of Top administrative meetings held during the Qtr.

(ख) ऐसी कितनी बैठकों में वार्तालाप/कार्यवाहियां पूरी तरह हिंदी में की गईं

No. of meetings out of the (a), in which the discussions/proceedings were conducted in Hindi completely

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है

The above information has been prepared on the basis of available records and is true to my knowledge.

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर :

Signature of the Chairperson of the O.L.I.C of Min./Dep./Org. :

अध्यक्ष का नाम Name of the Chairperson :

पदनाम Designation:

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर Telephone No. with STD Code:

फैक्स नम्बर Fax No. :

ई-मेल का पता E- mail address :

नोट Note :-

1. यह रिपोर्ट विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष से हस्ताक्षरित न होने पर लौटा दी जायेगी।

This report will not be accepted if not duly signed by the Chairman of the Official Language Implementation Committee.

2. कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए No column should be left blank and information should be given distinctly.

**Quarterly Progress Report Regarding Progressive Use of Official Language Hindi in Ministries/
Departments/Attached/ Subordinate Offices/PSUs/Autonomous Bodies etc. of Central Government**

01 अक्टूबर, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक की तिमाही हेतु

भाग Part - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए To be furnished at the end of each quarter)

कार्यालय का नाम और पूरा पता

Name and full postal address of the Office

संबंधित का राजभाषा अधिकारी का फोन नं.: एस.टी.डी कोड _____ फोन नं. _____ ई-मेल _____

Phone No. of the concerned Official Language Officer. STD Code _____ Tel. No. _____ E-mail _____

01. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात*
Documents* issued under section 3(3) of Official Languages Act, 1963

(क) जारी कागजात की कुल संख्या Total no. of documents issued

(ख) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात No. of documents issued only in English

* इनमें सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस तथा संसदीय प्रश्न इत्यादि शामिल हैं।

* This include General Orders, Memorandums, Resolutions, Notifications, Rules, Agreements, Contracts, Tender Notices, Parliament Questions etc.

02.	हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5) Letters received in Hindi (Official Languages Rule-5)	
(क)	हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या Total no. of letters received in Hindi	<input style="width: 100%;" type="text"/>
(ख)	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए No. of letters replied in English	<input style="width: 100%;" type="text"/>
(ग)	कितने पत्रों के उत्तर दिये जाने अपेक्षित नहीं थे No. of such letter which were not required to be replied	<input style="width: 100%;" type="text"/>

03.	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कार्यालयों हेतु) No. of letters received in English but replied in Hindi (Applicable to central offices located in 'A' & 'B' region)		
	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या No. of letters received in English	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए Letters replied in Hindi	कितने पत्रों के उत्तर दिये जाने अपेक्षित नहीं थे No. of such letter which were not required to be replied
	'क' क्षेत्र से From region 'A'		
	'ख' क्षेत्र से From region 'B'		

04.	भेजे गये कुल पत्रों का ब्योरा Details of total letters issued			
	हिंदी/द्विभाषी में In Hindi/ Bilingual	केवल अंग्रेजी में English only	भेजे गए पत्रों की कुल सं. Total No. of letters issued	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत %age of letters issued in Hindi/Bilingual
	'क' क्षेत्र को To Region 'A'*			
	'ख' क्षेत्र को To Region 'B' &			
	'ग' क्षेत्र को To Region 'C' #			

* बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र ।

& गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ।

"क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य।